अमरउजाला

घी, इमली व नमक बनाने वाली दो फैक्ट्रियों पर सीएम फ्लाइंग की दबिश

🏩 रोहतक ब्यूरो Updated Thu, 15 Oct 2020 01:00 AM IST





सीएम फ्लाइंग की टीम ने बुधवार को दिल्ली रोड स्थित श्री श्याम फूड प्रोडक्ट फैक्टरी और उकलाना में दौलतपुरा रोड स्थित इमली व नमक बानाने वाली फैक्टरी में दिबश दी। घी बनाने वाली फैक्टरी पर कार्रवाई के लिए टीम मंगलवार देर रात करीब दो बजे पहुंच चुकी थी, लेकिन कार्रवाई सुबह आठ बजे शुरू की गई। इस दौरान यहां से भारी मात्रा में टीम ने घी कब्जे में लिया। श्री श्याम फूड प्रोडक्ट फैक्टरी मामले में सदर थाना पुलिस ने सब इंस्पेक्टर रमेश की शिकायत पर सिरसा के डिंग रोड निवासी आशु, सिवानी निवासी राधेश्याम और गावड़ निवासी अजय के खिलाफ धारा 420, 272, 273 व आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है।

वहीं, उकलाना में टीम ने दोपहर बाद कार्रवाई की। दोनों स्थानों पर फैक्टरी संचालक लाइसेंस नहीं दिखा सके। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अरविंदर जीत सिंह, खाद्य आपूर्ति इंस्पेक्टर सुभाष व सदर थाना पुलिस भी मौजूद रही। सीएम फ्लाइंग टीम से सब इंस्पेक्टर राजबीर, रणधीर, एएसआई सुरेंद्र, रामफल, हेड कांस्टेबल अनिल और धर्मवीर मौजूद रहे। वहीं सदर थाना पुलिस से सब इंस्पेक्टर रमेश व अन्य मौजूद रहे। घी फैक्टरी से यह सामान बरामद

दिल्ली रोड स्थित श्री श्याम फूड प्रोडक्ट फैक्टरी से टीम ने डेयरी नंद शुद्ध देसी घी के चार टीन व 15 लीटर की पांच कैनी, 5 लीटर वाले 6 टीन, दो लीटर वाली 16 पीपी, एक लीटर वाली 30 पीपी, डेयरी राधे शुद्ध देसी घी की 2 लीटर वाली 16 पीपी, हरियाणा दीप शुद्ध देसी घी की 15 लीटर वाली एक कैनी, 5 लीटर वाली 5 पीपी, दो लीटर वाली 8 पीपी, एक लीटर वाली 25 पीपी और एक लीटर टेटरा वाली 105 पैकिंग, हरियाणा चॉयस शुद्ध देसी घी के 15 लीटर वाले 10 टीन, 5 लीटर वाली 15 पीपी, 2 लीटर वाली 40 पीपी, एक लीटर वाली 30 पीपी, आधी लीटर वाली टेटरा गत्ता की 600 पैकिंग, दीप शक्ति वेजिटेबल ऑयल की एक लीटर वाली 80 पीपी, एक लीटर टेटरा की 18 पैकिंग, आधा लीटर टेटरा की 786 पैकिंग, मधुसंग वेजिटेबल ऑयल की एक लीटर वाली 10 पेटी व एक एसेंस बॉक्स बरामद हुआ।

ऐसे तैयार किया जाता है नकली घी

एसेंस का इस्तेमाल नकली देसी घी बनाने के लिए होता है। कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि से एक किलो घी बनाने पर करीब 60 रुपये खर्च होते हैं और मार्केट में ये 250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है। इस विधि से नकली देसी घी तैयार करने के लिए पांच पीपे रिफाइंड ऑयल और 10 पीपे वनस्पति के मिलाकर इन्हें बड़े बर्तन में गर्म कर मिक्स किया जाता है। फिर इसमें एसेंस (सेंट) डाला जाता है, जो देसी घी की खुशबू देता है। इस तरह 15 लीटर देसी घी तैयार हो जाता है। रिफाइंड की कीमत करीब 70 रुपये से शुरू होती है और वनस्पति करीब 50 रुपये प्रति लीटर मिल जाता है, जबिक एसेंस करीब दो हजार रुपये प्रति लीटर मिलता है। इसकी 300 मिलीलीटर की एक शीशी एक क्विंटल घी तैयार करने के लिए पर्याप्त होती है, क्योंकि इसकी एक-दो बूंद ही डाली जाती हैं। त्योहारी सीजन के चलते सीएम फ्लाइंग की टीम कर रही कार्रवाई

त्योहारी सीजन के चलते सीएम फ्लाइंग टीम व स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। त्योहारी सीजन में भारी मात्रा में मिलावटी खाद्य सामग्री तैयार होती है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग व सरकार सतर्क है। माना जा रहा है कि यह कवायद उसी अभियान का हिस्सा है। वैसे सीएम फ्लाइंग ने पिछले माह भी मिर्जापुर रोड स्थित श्रीराम फूड प्रोडक्ट फैक्टरी पर दबिश देकर भारी मात्रा में नकली घी व 14 सिलिंडर बरामद किए। बरवाला में भी इसी दौरान कार्रवाई की गई थी। जून 2019 में भी बगला रोड स्थित वेद ऐंड कंपनी से टीम ने भारी मात्रा में नकली घी व कच्चा माल जब्त किया था।

साझेदारी में चलाते थे फैक्टरी

शिकायत में सब इंस्पेक्टर रमेश ने बताया कि अजय, आशु और राधेश्याम साझेदारी में इस फैक्टरी में अवैध तौर पर भट्ठी लगाकर नकली देसी घी बनाते थे और विभिन्न तरह के ब्रांड में पैक कर त्योहारी सीजन में अच्छे दाम में बेचकर अधिक मुनाफा कमाना चाहते थे। सीएम फ्लाइंग टीम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी व खाद्य आपूर्ति अधिकारी की टीम ने फैक्टरी से घी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामान व सिलिंडर बरामद किए हैं।

Source: https://www.amarujala.com/haryana/hisar/crime-hisar-news-rtk578347894